भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2353

06 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए नियत

आटोमोटिव उद्योगों में प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण

2353. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री परषोत्तमभाई रुपाला:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री शशांक मणि:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहन और अन्य उद्योगों में प्रौद्योगिकी के उन्नत स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार आटोमोटिव क्षेत्र में पीएलआई योजनाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकीय प्रगति के संबंध में कोई अन्य पहल करने का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(**क**) **से** (**घ**): जी हां। यह मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योगों में प्रौद्योगिकी के उन्नत स्थानीकरण को बढ़ावा दे रहा हैः-

(i) **ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध आर्थिक प्रोत्साहन स्कीमः** यह स्कीम 15 सितंबर 2021 को 5 वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयोजन से शुरू की गई थी। इस स्कीम में उन उत्पादों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है जिनका न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन 50% हो। उत्तरप्रदेश राज्य में तेरह (13) विनिर्माण स्थलों के साथ सात (7) अनुमोदित आवेदक हैं। विनिर्माण स्थलों का ब्यौरा **संलग्नक-I** में है।

(ii) राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम संबंधी उत्पादन-संबद्ध आर्थिक प्रोत्साहन (पीएलआई एसीसी स्कीम) स्कीम की शुरुआत 12 मई, 2021 को की गई

थी जिसका परिव्यय 7 वर्ष के लिए 18,100 करोड़ रुपये था। लाभार्थी प्रतिष्ठानों को उत्पादन के पहले वर्ष में कम से कम 25% का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा और इसे 5 वर्ष के भीतर 60% तक बढ़ाना होगा। इस स्कीम के तहत तीन लाभार्थी प्रतिष्ठान अपने संयंत्र तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में स्थापित कर रहे हैं।

(iii) इलेक्ट्रिक दुपहिया और इलेक्ट्रिक तिपहिया के निर्माण और अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 778 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम (ईएमपीएस)-2024 जिसमें चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के माध्यम से स्थानीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। यह स्कीम पूरे देश में लागू है।

(iv) भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित की गयी। इसके लिए आवेदकों को तीसरे वर्ष के अंत में 25% और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना अपेक्षित है।

(v) उपर्युक्त चार स्कीमों का और ब्यौरा संलग्नक-**II** में है।

*****

संलग्नक-I

लोकसभा में "आटोमोटिव उद्योगों में प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण" के संबंध में 06.08.2024 को उत्तर के लिए नियत श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री परषोत्तमभाई रूपाला, श्री चंद्र प्रकाश जोशी, श्री शशांक मणि और डॉ संजय जायसवाल के अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

#	आवेदक कंपनी का नाम	विनिर्माण स्थान का नाम	शहर/जिला
1	टाटा मोटर्स लिमिटेड	टाटा मोटर्स लिमिटेड	लखनऊ
2	मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
3	मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
4	मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
5	वैबको इंडिया लिमिटेड	वैबको इंडिया लिमिटेड	बाराबंकी
6	हीरो मोटर्स लिमिटेड	हीरो मोटर्स लिमिटेड	गाजियाबाद
7	हीरो मोटर्स लिमिटेड	हीरो मोटर्स लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
8	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
9	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
10	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
11	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
12	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	मदर्सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर
13	लिंचपिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	लिंचपिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	गौतम बुद्ध नगर

*****

संलग्नक-II

लोकसभा में "आटोमोटिव उद्योगों में प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण" के संबंध में 06.08.2024 को उत्तर के लिए नियत श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री परषोतमभाई रूपाला, श्री चंद्र प्रकाश जोशी, श्री शशांक मणि और डॉ संजय जायसवाल के अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

चार स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) पीएलआई-ऑटो स्कीम: https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-automobile-and-auto-component-industry.

(ii) पीएलआई एसीसी स्कीम: https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage.

(iii) ईएमपीएस स्कीम: https://emps.heavyindustries.gov.in/.

(iv) एसपीएमईपीसीआई स्कीम: https://heavyindustries.gov.in/scheme-promote-manufacturing-electric-passenger-cars-india-0.

*****